

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223182 CG-DL-E-19112020-223182

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3644] No. 3644] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर. 2020

का.आ. 4146 (अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 4468 (अ.), का.आ. 4469 (अ.) एवं का.आ. 4470 (अ.) दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार बॉम्बे उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सत्र न्यायाधीश, दमण के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे दादरा एवं नगर हवेली और दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

आश्तोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

5616 GI/2020 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

S.O. 4146(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4468 (E), S.O. 4469 (E) and S.O. 4470 (E) dated the 12th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Bombay, hereby designates the Court of Sessions Judge at Daman, as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secv.